कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा, श्रीगंगानगर

क्रमांक :– जिशिअ / प्राशि / एमडीएम / 2021 / 15 दिनांक :–23.05.21

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी /
समस्त जिला श्रीगंगानगर।

विषय :– कोविड–19 के अन्तर्गत ग्रीष्मावकाश में खाद्यान्न (गेहूं / चावल) एवं कॉम्बों पैकेट वितरण के संबंद्य में।

प्रसंग :– श्रीमान आयुक्त, मिड–डे–मील कार्यक्रम जयपुर के पत्रांक एफ 4 (142) प्रा. शि / एमडीएम / एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ.वि.आ. / पार्ट / 2020–21 / स्पे.2 दिनांक 11.05.2021 एवं श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के पत्रांक 4935 / 14.05.2021 |

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि मिड–डे–मील योजनान्तर्गत कोविड–19 की अवद्यि में विद्यार्थियों के माता–पिता / अभिभावकों को खाद्यान्न (गेहूं / चावल) एवं खाद्य सुरक्षा भते के रूप में कॉम्बों पैकिट का वितरण राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंस रखते हुये कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में जारी गाईडलाईन की पालना करते हुए किया जा रहा है।

उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु श्रीमान जिला कलकटर महोदय द्वारा दिनांक 24.05.2021 तक विद्यालय खोलने की अनुमति जारी की गई थी, अतः आप निम्न प्रपत्र में सूचना एवं यदि उक्त कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो आगामी कितने दिवसों में उक्त कार्य पूर्ण किया जा सकेगा के संबंध अपनी टिप्पणी सहित भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को रिपोर्ट से अवगत करवाया जा सके।

क्र0सं0	नाम सामग्री	ब्लॉक को आंवटित कॉम्बों पैकिट / खाद्यान्न	प्राप्त सामग्री / उठाव	विद्यार्थियों के अभिभावकों को वितरित सामग्री	वितरित सामग्री प्रतिशत	वितरण पूर्ण नहीं होने का प्रमुख कारण	पूर्ण वितरण करने के लिए अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता	वि.वि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	कॉम्बों पैकिट							
2	गेहूं (क्वि. में)							
3	चावल (क्वि. में)							

उक्त सूचना तैयार कर दिनांक 24.05.2021 को प्रातः 10:00 बजे तक अतिआवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

(डालचन्द मैनारिया)
जिला शिक्षा अधिकारी (मु.)
प्रा.शिक्षा, श्रीगंगानगर

www.rajteachers.com